



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 307 राँची, मंगलवार,

15 जून, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

11 जून, 2021

संख्या:- 01/नीति-05-01/2020-1008--कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में घोषित लाँकडाउन के फलस्वरूप दिनांक 22.03.2020 से 31.10.2020 तक उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10/ 9 एवं 10 के क्रमशः होटल, रेस्तरां एवं बार/रेस्तरां एवं बार का अनुज्ञप्ति परिसर बंद था ।

2. उक्त अवधि में होटल, रेस्तरां एवं बार/रेस्तरां एवं बार का अनुज्ञप्ति परिसर बंद रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 724 दिनांक 01.04.2019 द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रथम दो त्रैमासिक (वित्तीय वर्ष 2020-21) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 39 के आलोक में सक्षम प्राधिकार सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निम्न शक्तों के साथ माफ किया गया है -

- i. स्थानीय स्तर पर उपायुक्त/सक्षम प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम/ महामारी अधिनियम के तहत अगर किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध सरकार/ नियमावली के प्रावधान/निर्देश के उल्लंघन का मामला दायर/ विचाराधीन/दण्डित हो, तो उक्त अनुज्ञप्तिधारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

3. वैसे अनुज्ञप्तिधारी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराया गया है, उनके प्रथम दो त्रैमास का अनुज्ञप्ति शुल्क का समायोजन वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जायेगा।
4. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद।
